न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0:– 74 / 17

तारीख रजू:– 28.6.17

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

जगदीश पुत्र धर्मपाल मीना निवासी गज्जूपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती नाम अन्तर्गत धारा 88 राज0टी0एक्ट0

एवं धारा 136 राज0लै0रे0एक्ट

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

निर्णय

दिनांक:– 11.12.19

वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 55 मे ख0न0 234 / 0.17, 234 / 322 / 0.02, 290 / 0.10, 349 / 236 / 0.11 है0 स्थित ग्राम गज्जूपुरा मे प्रहलाद पुत्र धर्मपाल हिस्सा सम्पूर्ण खातेदारी दर्ज है। खाता संख्या 34 मे ख0न0 1056 / 0.03, 1057 / 0.43, स्थित ग्राम पदमपुरा मे प्रहलाद पुत्र धर्मपाल हिस्सा 1 / 2 की खातेदारी दर्ज है। खाता संख्या 192 मे ख0न0 93 / 0.13 ग्राम बैरोज मे प्रहलाद पुत्र धर्मपाल हिस्सा 1 / 2 की खातेदारी दर्ज है। वादी का शुद्व नाम जगदीश पुत्र धर्मपाल है। वादी के नाम ग्राम गज्जूपुरा तहसील टोडाभीम मे खाता संख्या 48 मे ख0न0 233 / 0.11 मे सही नाम जगदीश पुत्र धर्मपाल दर्ज है, लेकिन उपरोक्त भूमि मे प्रहलाद व प्रहलादीराम अशुद्व नाम दर्ज हो गया है जबकि प्रहलाद, प्रहलादीराम व जगदीश एक ही व्यक्ति है जो कि धर्मपाल का पुत्र है, अन्य कोई इस नाम का व्यक्ति नही है। वादी के भारतनिर्वाचन आयोग, राशनकार्ड, आधार कार्ड व वोटर लिस्ट मे जगदीश पुत्र धर्मपाल ही है। यह सभी दस्तावेज फोटोयुक्त है ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र है। नाम दुरूस्त कराने का दावा पेश किया जा रहा है। के.सी.सी. की पत्रावली बनवाने के समय इस गलती की जानकारी पटवारी हल्का से हुई। तहसीलदारजी द्वारा नाम दुरूस्त करने से इन्कार करने के कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बावत इन्द्राज दुरूस्ती नाम डिक्री किया जाकर खाता संख्या 55 मे ख0न0 234 / 0.17, 234 / 322 / 0.02, 290 / 0.10, 349 / 236 / 0.11 है0 ग्राम गज्जूपुरा व खाता संख्या 34 मे ख0न0 1056 / 0.03, 1057 / 0.43, स्थित ग्राम पदमपुरा व खाता संख्या 192 मे ख0न0 93 / 0.13 ग्राम बैरोज मे दर्ज अशुद्व नाम प्रहलाद, प्रहलादीराम के स्थान पर जगदीश पुत्र धर्मपाल दर्ज किया जावे, एवं तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किये जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया कि वादपत्र मे अंकित आराजीयात प्रहलाद पुत्र धर्मपाल के नाम विरासत के नामांतकरण से दर्ज हुई है। वादी द्वारा पूर्व मे एक मुकदमा उनवानी जगदीश बनाम तहसीलदार प्रस्तुत किया गया था जो खारिज हो चुका है। अब पुनः नया मुकदमा पेश कर दिया है जो कि रेसज्यूडिकेटा के अन्तर्गत आता है इस आधार पर मुकदमा खारिज योग्य है। वादी की ओर से वादपत्र के साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 ग्राम गज्जूपुरा किता 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 ग्राम पदमपुरा नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 ग्राम बैरोज, नकल जमाबन्दी सम्वत 2017–20 ग्राम पदमपुरा , नकल

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी सम्वत 2029–32, ग्राम पदमपुरा किता 2, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 ग्राम पदमपुरा, गज्जूपुरा, बैरोज एवं स्वंय वादी एवं वादी के भाई किलाण पुत्र धर्मपाल के शपथ पत्र पेश किये, तथा राशनकार्ड, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र एवं आधार कार्ड एवं सरपंच ग्राम पंचायत पदमपुरा के प्रमाण पत्र की छायाप्रतिया प्रस्तुत की गई है।

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो एवं दस्तावेजी साक्ष्यो को दोहराया, दौराने बहस वादी एवं उसका भाई किलाण उपस्थित रहे। वादी के भाई किलाण ने अपने शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो की ताईद की कि जगदीश मेरा सगा भाई है, प्रहलाद व प्रहलादीराम कोई नही है। वादी का दावा डिकी किया जाकर नाम दुरूस्त करने के आदेश फरमाया जावे।

वादी वकील की बहस पर मनन एवं पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। ग्राम बैरोज एवं गज्जुपुरा मूल ग्राम पदमपुरा से बने है ग्राम पदमपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2017–24 के ख0न0 918, 920, 926, 934, 1143, 1685, 1686, 1766, 1770, मे खातेदारी धर्मपाल पुत्र हीराचन्द जाति मीना के नाम दर्ज है। विशेष विवरण मे नामांतकरण संख्या 201 से धर्मपाल की बजाय किलाणा, प्रहलाद पि. धर्मपाल के नाम विरासत दर्ज हुई जमाबन्दी सम्वत 2029–32 मे उक्त नम्बरान की खातेदारी किलाणा, प्रहलाद पि. धर्मपाल के नाम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2029–32 ग्राम पदमपुरा के खाता संख्या 213 के ख0न0 919 रकवा 9 बिस्वा मे खातेदारी नारायण, लटूरया, पाच्या, धर्मपाल पुत्रान हीराचन्द हिस्सा 1/4 वगै0 दर्ज है जिसमे नामांतकरण संख्या 260 दिनांक 8.6.1975 से धर्मपाल पुत्र हीराचन्द के बजाय किलाणा, जगदीश पि. धर्मपाल के नाम विरासत से खातेदारी दर्ज हुई है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 ग्राम गज्जूपुरा के ख0न0 918 से 232, 920 से 234, 920 मिन. से 234/322, 934 मिन. से 289, 290, 926 से 236, 934 से 282, 977/2 से 269, 919 से 233 कायम किये गये है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 ग्राम बरौज के ख0न0 1143 से ख0न0 43, कायम किये गये है। दस्तावेजी सबूत जमाबन्दी सम्वत 2029–32 के खाता संख्या 213 के कालम मे अंकित विरासत नामांतकरण मे किलाणा, जगदीश पुत्रान धर्मपाल दर्ज हुआ है। वादी जगदीश के सगे भाई किलाणा ने शपथ पत्र पेश कर इस बात की ताईद की है कि वादी का सही नाम जगदीश ही है प्रहलाद और प्रहलादीराम अन्य कोई भाई नही है। राशन कार्ड कमांक 200002440805, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र कमांक RJ/11/088/222109 आधार कार्ड कमांक 3635 2687 7473 मे जगदीश पुत्र धर्मपाल नाम दर्ज है। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा अपने जबाब मे पूर्व मे दावा खारिज हो जाने के बाद पुनः दावा पेश किया जाना रेसज्यूडिकेटा के अन्तर्गत वर्णित किया है इस संबध मे वादी वकील का कथन रहा है कि पूर्व मे प्रस्तुत दावा अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज होने से रेसज्यूडिकेटा का सिद्वांत लागू नही होता है। सिविल प्रकिया संहिता के अनुसार अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हुये मुकदमे बावत पुनः मुकदमा पेश किया जाना रेसज्यूडिकेटा के अन्तर्गत नही आता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का दावा बावत नाम दुरूस्ती किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्रम गज्जूपुरा की आराजी ख0न0 234/0.17, 234/322/0.02, 290/0.10, 349/236/0.11 है0 मे प्रहलाद पुत्र धर्मपाल के स्थान पर जगदीश पुत्र धर्मपाल, ग्राम पदमपुरा की आराजी ख0न0 1056/0.03, 1057/0.43 है0 मे प्रहलाद पुत्र धर्मपाल के स्थान पर जगदीश पुत्र धर्मपाल, ग्राम बैरोज के ख0न0 93/0.13 है0 मे प्रहलाद पुत्र धर्मपाल के स्थान पर जगदीश पुत्र धर्मपाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.19 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर
उप. जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.01.02 13:00:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: